

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

का०आ० संख्या-स्था०क्ष०-507/2025-

पटना, दिनांक

नवम्बर, 2025

कार्यालय आदेश

कृषि विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-4140 दिनांक-04.09.2025 के क्रमांक-205 से श्री शुभम राय की सेवा गन्ना उद्योग विभाग में सौंपी गयी जिसके आलाके में उन्हें प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी मुजफ्फरपुर (प्रशिक्षण हेतु आर्वांटित जिला) को दिनांक-06.09.2025 के अपराहन से विरमित किया गया और विरमित आदेश जिला कृषि पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक-2647 दिनांक-06.09.2025 से निर्गत हुआ। तत्पश्चात् श्री राय गन्ना उद्योग विभाग के दिनांक-08.09.2025 पूर्वाहन को योगदान समर्पित किये है। विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-1525 दिनांक-06.10.2025 के क्रमांक-8 द्वारा श्री शुभम राय, को ईख प्रसार पदाधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक, ईख विकास, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है। जिसके आलोक में श्री शुभम राय ईख प्रसार पदाधिकारी, सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना के कार्यालय में अपना योगदान दिनांक-08.10.2025 के पूर्वाहन में समर्पित किया गया।

वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-10128 दिनांक-26.12.2003 के आलोक में श्री शुभम राय, ईख प्रसार पदाधिकारी, कार्यालय-सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना का दिनांक-08.09.2025 से 06.10.2025 तक कुल 29 (उनतीस) दिनों पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि के रूप में एवं दिनांक-07.10.2025 को देय उपार्जित अवकाश के रूप में सेवा विनियमन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना की सहमति तथा प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या-01/स्था०राज-507/2025-

/पटना, दिनांक-

नवम्बर, 2025

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या-01/स्था०राज-507/2025-1790/पटना, दिनांक-2/नवम्बर, 2025

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वै०दा०वि०को०) विभाग, बिहार, पटना/विभागीय लेखा शाखा/सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना/श्री शुभम राय, ईख प्रसार पदाधिकारी, कार्यालय-सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना/श्रीमती शालीनता रानी, आई.टी. प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव।